प्रेषक,

सुनन्दन गोयल,
न्यायाधिकारी,
ग्राम न्यायालय
तहसील बाह, आगरा।

सेवा मे,

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
आगरा।

विषयः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 4170/IV–4916/एडमिन (4)–दिनांकित 18.03.2020 के अनुपालनार्थ।

महोदय,

कृपया अपने उपरोक्त वर्णित पत्रांक का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके सम्बन्ध में ससम्मान निवेदन करना है कि प्रार्थी कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, हरियाणा से परीक्षा सत्र 2020–2022 में पत्राचार के माध्यम से दो वर्षों का एल.एल.एम. का कोर्स करना चाहता है। उक्त कोर्स को प्रार्थी बिना किसी दिन प्रति दिन की कक्षा मे उपस्थित हुए भी पूर्ण कर सकता है। उक्त कोर्स को करने से प्रार्थी द्वारा सम्पादित किए जाने वाले न्यायिक कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। उक्त कोर्स को पूर्ण किए जाने हेतु प्रार्थी को किसी अध्ययन अवकाश की भी आवश्यकता नहीं है। कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, हरियाणा के एल.एल.एम. कोर्स का प्रॉस्पेक्टस एवं सिलेबस प्रार्थी इस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न कर रहा है।

अतः श्रीमान जी से सादर अनुरोध है कि प्रार्थी के इस आवेदन पत्र को एल.एल.एम. की परीक्षा की अनुमति प्रदान किए जाने के प्रार्थी के निवेदन सहित माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांकः 10/07/2020.

भवदीय,

Sunandan Goyal
10/07/2020.

(सुनन्दन गोयल)
न्यायाधिकारी,
ग्राम न्यायालय
तहसील–बाह, आगरा।

संलग्नक :

1. एल.एल.एम. परीक्षा सत्र 2020–22 का प्रॉस्पेक्टस,
2. एल.एल.एम. परीक्षा सत्र 2020–22 का सिलेबस।

Scanned with CamScanner